न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल, ग्वालियर केम्प भोपाल

PBR/निगरानी/भोपाल/भू.रा/2017/3814

निगरानी क्रमांक /2017

1. श्रीमति डाला बाई आयु वयस्क
पत्नी श्री राम स्वरूप
2. राम स्वरूप आयु वयस्क
आत्मज श्री हरिनारायण
निवासी- ग्राम पुरा छिन्दवाड़ा
तहसील हुजूर जिला भोपाल
एँव कृषक ग्राम सतपौन, तहसील
श्यामपुरा जिला सीहोर ------ आवेदकगण
निगरानी कर्तागण

विरूद्ध

राम लखन मीना आयु वयस्क
आत्मज श्री अवध नारायण
निवासी- कृषक ग्राम पुरा -
छिन्दवाड़ा तहसील हुजूर
जिला भोपाल ----- अनावेदक
उत्तरदाता

निगरानी अर्न्तगत धारा 50 मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता

आवेदकगण/निगरानी कर्तागण माननीय अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 103/अ-12/2016-2017 में पारित आदेश दिनांक 20.06.2017 से असंतुष्ट होकर तथा अपनी असहमति प्रकट करते हुए निम्नलिखित तथ्यों एँव आधारों पर वर्तमान निगरानी प्रस्तुत करते है :-

प्रकरण के तथ्य :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक जो कि भूमि खसरा क्रमांक 231/3/क रकबा 4.859 हेक्टर अर्थात 12.00 एकड़

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/भोपाल/भू-रा./2017/3814 जिला - भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-8-2019	प्रकरण आज प्रस्तुत । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त-1 ईटखेड़ी तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.06.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 जो 27 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ है, तथा दिनांक 25.09.2018 से लागू हुआ है । संशोधित अधिनियम की धारा 54 के अनुसार संशोधित अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लंबित पुनरीक्षण के संबंध में धारा 54(क) के अनुसार "यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हो, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें सुने जाने हेतु विनिश्चत किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" चूंकि आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त-1 ईटखेड़ी तहसील हुजूर न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । अतः संशोधित अधिनियम की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, भोपाल को भेजा जाता है । कलेक्टर, भोपाल प्रकरण पंजीबद्ध कर म0प्र0 भू0रा0 सं0 की धारा 50 (1)(सी) के अंतर्गत पक्षकारों की सुनवाई कर यथोचित आदेश पारित करें । उभय पक्षकार दिनांक 22-10-2019 को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । अध्यक्ष	